

पत्रांक-श्रम क०सं०-49/2025-1031

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) 05 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए मात्र) प्रति कामगार की दर से रू० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपए) अर्थात् रू० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार एवं/ आधार सं०	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस. सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० रामू दास, 45, दयाली दास, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	रीना देवी (पत्नी)	778 07.04.2026 एवं 2376 15.12.2025	ग्राम+पो०-बघड़ा, थाना+प्र०-मोहनपुर, जिला-समस्तीपुर 9234337872	391907 000348 74	DBGB PUNB0M BGB06	रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का कार्य
2	स्व० सीता देवी, 60, कारी दास, अत्यंत पिछड़ा जाति	दिलीप कुमार (पुत्र)	778 07.04.2026 एवं 2383 15.12.2025	ग्राम+पो०-बघड़ा, थाना+प्र०-मोहनपुर, जिला-समस्तीपुर 9525813709	723102 010017 800	UNION BANK UBIN057 2314	रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, पशुपालन का कार्य
3	स्व० संतोष कुमार ठाकुर, 39, धुला ठाकुर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग	सुमन देवी (पत्नी)	778 07.04.2026 एवं 2386 15.12.2025	ग्राम-डुमरी उत्तरी, पो०-डुमरी, थाना+प्र०-मोहनपुर, जिला-समस्तीपुर 8051644086	322345 2817	CBI CBIN028 2463	रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, सैलून में नाई का कार्य
4	स्व० गीता देवी, 29, अरुण कुमार महतो, पिछड़ा जाति	अरुण कुमार महतो (पति)	778 07.04.2026 एवं 2441 22.12.2025	ग्राम+पो०-बल्लूपुर, थाना+प्र०-शिवाजीनगर जिला-समस्तीपुर 8002618274	390401 316958 79	DBGB PUNB0M BGB06	रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर
5	स्व० सुशीला देवी, 56, स्व० कपिलदेव ठाकुर, पिछड़ा जाति	छोटी कुमारी (पुत्री)	778 07.04.2026 एवं 2444 22.12.2025	ग्राम+पो०-हरपुर भिण्डी, थाना+प्र०-मोरवा, जिला-समस्तीपुर 7859048965	360579 08805	SBI SBIN000 6562	रू० 50,000/- (पचास हजार रुपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कपड़ा सिलाई का कार्य

कुल :- रू० 2,50,000/-

(दो लाख पचास हजार रुपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

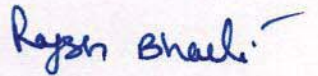
ह०/-
(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-49/2025-1036

पटना, दिनांक :- 17/08/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर/उप श्रमायुक्त, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


06/08/2026
(रोहित कुमार)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(राजेश भारती)
कार्यकारी निदेशक